अंचल अधिकारी ......सिरमा...... का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या– 20/2016-17

वाद का प्रकार– **बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।**

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा–.....बड़मुड़ि....., थाना– .....179....., खाता संख्या–.....132....., प्लॉट संख्या– .....1626....., रकबा– .....0.10..... एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या–.....655.....,के पृष्ठ संख्या–.....–....., पर जमाबंदी रैयत तुलसी दुदु के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक–.....22.07.16..... को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

15.7.16

अंचल अधिकारी

सिरमा

15.7.16

E:\Sec 5 New\Awaidh Jamabandi.docx

अंचल अधिकारी का कार्यालय, निरसा।

संदिग्ध जमाबंदी रद्द अभिलेख वाद सं0–20/2016–17

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभियुक्ति
22.07.16 ~~15.7.16~~	अभिलेख उपस्थापित किया गया । नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती [illegible] ......साकिम बड़मुड़ी ...... अनुपस्थित है। जमावंदी रैयत को पुनः द्वितीय नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 28.7.16 को रखें। ह0 22.7.16 अंचल अधिकारी, निरसा।	
28.7.16	अभिलेख उपस्थापित किया गया । द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती [illegible] साकिम बड़मुड़ी ...... उपस्थित/अनुपस्थित है एवं राजस्व कागजात यथा बन्दोबस्ती पर्चा/हुकुमनामा/लगान रसीद नहीं समर्पित किया गया है। राजस्व कर्मचारी /अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन व अनुशंसा के आधार पर प्रमाणित होता है कि मौजा बड़मुड़ी ...... थाना नं0 179 खाता 132 प्लांट सं0 1626 रकवा 10 डि0 जो गत सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद खाते की भूमि है , एवं जमावंदी पंजी –II में कायम जमावदी स0 655 किसी सक्षम प्रधिकार/पदाधिकारी के आदेश से कायम नही कि गई है । अतः बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में पंजी –II में कायम जमाबंदी सं0 655 को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है । अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता धनबाद को भेजे । ह0 28.7.16 अंचल अधिकारी, निरसा।	

Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी का कार्यालय, निरसा।

संदिग्ध जमाबंदी रद्द अभिलेख संख्या...20......./2016–17

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
1	2	3
14.9.16	अभिलेख उपस्थापित किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद के पत्रांक–988 दिनांक–27.08.2016 के द्वारा संदिग्ध जमाबंदी रद्द अभिलेख में त्रुटि निराकरण हेतु वापस हुआ है। अभिलेख में त्रुटि निराकरण करते हुए जमाबंदी रैयत के वंशज के नाम से तृतीय नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक...23.9.16.......को उपस्थापित करें। 14.9.16 अंचल अधिकारी निरसा।	
23.9.16	अभिलेख उपस्थापित किया गया। तृतीय नोटिस का तामिला प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। द्वितीय पक्ष .... जमाबंदी रैयत के वंशज .....×..... श्री/श्रीमती.....×............ साकिन....................अनुपस्थित है जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त रैयत/वंशज के पास उक्त भूमि से संबंधी कोई कागजात उपलब्ध नहीं है। राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन, चेक स्लीप व अनुशंसा के आधार पर प्रमाणित होता है कि मौजा.................मौजा नं0–..179....खाता...132...प्लॉट नं0–...1626...रकबा..0.10 डी०...जो गत सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद खाते की भूमि है एवं जमाबंदी पंजी II में कायम जमाबंदी सं0–...655....किसी सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से कायम नहीं की गई है अतः बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में पंजी II में कायम जमाबंदी सं0–...655.......को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख मूल में अनुशंसा के साथ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद को माध्यम से अपर समाहर्त्ता,धनबाद को भेजें। 23.9.16 अंचल अधिकारी	

Scanned with CamScanner

24·4·18	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रश्नगत भूमि से संबंधित जाँच पुनः करायी गई। राजस्व कर्मचारी ने जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया है कि, श्री/श्रीमती तुलसी टुडु, पिता/पति– लखन टुडू साकिम– [illegible] के द्वारा अपने पक्ष में प्रश्नगत भूमि मौजा– [illegible], मौजा सं0– 179, खाता सं0– 132, प्लॉट सं0– 1626, रकवा– 10 डि0 भूमि गैर आबाद खाते से संबंधित है। नोटिस का तामिला उपरान्त जमाबंदी रैयत/वंशज के द्वारा अपने साक्ष्य के रूप में सादा हुकुमनामा/केवाला दलील/बन्दोबस्ती/पट्टा/लगान–रसीद प्रस्तुत किया/नहीं किया गया है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने जमाबंदी सं0– 655 को रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। तथा पूर्व में भी राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। अतः उक्त जमाबंदी सं0– 655 को बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–4(h) के तहत् अवैध मानते हुए रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अभिलेख मूल में अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद को भेजें। 24.4.18 अंचल अधिकारी निरसा। 24.4.18

Scanned with CamScanner

तिथि	पदाधिकारी आदेश	अभ्युक्ति
.11.2020	अभिलेख उपस्थापित। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद के पत्रांक–733, दिनांक–23.09.2020 के द्वारा विभागीय पत्र संख्या–1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमबांदीदार रैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक–27.11.2020 को उपरथापित करें। अंचल अधिकारी, निरसा।	
27.11.2020	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त। जमावंदीदर रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को ~~उपस्थित~~/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में कोई भी राजस्व कागजात/साक्ष्य समर्पित नहीं कराया गया। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक–लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें। अभिलेख दिनांक–07.12.2020 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, निरसा।	
07.12.2020	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक–1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमबांदी नियमितीकरण/रद्द करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का	

Scanned with CamScanner

मिलान कर जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत् भूमि मौजा–बड़भुड़ी, मौजा नं0–179, खाता सं0–132, प्लॉट सं0–162, रकवा–01090 गत् सर्वे खतियान एवं हाल सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद (अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार) खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत/वंशज के द्वारा दिनांक–01.01.1946 के पूर्व का कोई भी राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जमाबंदी रैयत/वंशज का उक्त भूमि पर वर्ष 1985 के पूर्व से दखलकार नहीं है। उक्त जमाबंदी को नियमितीकरण नहीं की जा सकती है। इस संबंध में तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के द्वारा पूर्व में उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। पुनः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अवैध जमाबंदीदार तुलसी टुडू के नाम से पंजी–II में कायम जमाबंदी संख्या–655 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–4(h) के तहत् पंजी–II में कायम जमाबंदी संख्या–655 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद के माध्यम से अपर समाहर्त्ता, धनबाद को भेजें।

अंचल अधिकारी,
निरसा।

Scanned with CamScanner